रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 1975/फाल्गुन 23, 1896

No. 102] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 1975/PHALGUNA 23, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कार्यालय जांच आयोग

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1975

का० आ० 140 (अ).—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 106 (अ) दिनांक 14 फरवरी, 1975 के हिन्दी रूप में जो कि भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3—उपखण्ड (ii) में 19 फरवरी, 1975 को प्रकाशित हुआ, में निम्नलिखित शुद्धियां कर ली जाएं:—

1. प्रथम पैरे की दूसरी पंक्ति में "विभाग को" के स्थान पर "विभाग की" और "1971 को" के स्थान पर "1971 की" पढ़ा जाए।

2. द्वितीय पैरे की प्रथम पंक्ति में "पैरा (2) क" के स्थान पर "पैरा (2) के" पढ़ा जाए।

3. तृतीय पैरे की सोलवीं पंक्ति में "उन को" के स्थान पर "उन की" व पंचम पैरे की तीसरी पंक्ति में "मोट" के स्थान पर "मोटे" पढ़ा जाए।

4. शीर्षक "आरोपों" का सारांश के नीचे प्रथम पैरे की दूसरी पंक्ति में "रिसूलादार" के स्थान पर "रिसलदार", व पैरा II की दूसरी पंक्ति में "मंत्री पद" के स्थान पर "मंत्रीपद" और पांचवीं पंक्ति में "माहराजा" के स्थान पर "महाराजा" पढ़ा जाए;

5. शीर्षक "आरोपों" का सारांश के परा III की चतुर्थ पंक्ति में "ईमानी" के स्थान पर "बेईमानी" और अष्टम् पंक्ति में "रखा" के स्थान पर "रखी" और पैरा 5 तथा 6 की 12वीं पंक्ति में "मफत" के स्थान पर "मुफ्त" पढ़ा जाए।

[सं० 2/1/75-ज० आ०]

ए० एस० तनेजा, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975